

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 1976/श्रावण 1, 1898

No. 247]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 1976/SRAVANA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 23rd July 1976

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 121-Customs, dated the 17th June, 1976.

[No. 373/F.No. 357/3/76-Cus. I]

## राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएं

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1976

सां० का० नि० 468 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 121-सीमा शुल्क तारीख 17 जून, 1976 को विखण्डित करती है।

[सं० 373/का० सं० 357/3/76-सी०शु० I]

**G.S.R. 469(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts viscose staple fibre and polynosic staple fibre, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 2A of the second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1977.

[No. 384/F.No. 355/105/76-Cus. I]

सां० का० नि० 469 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, विस्कोसी स्टेपल फाइबर और पोलिनोसिक स्टेपल फाइबर को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से तथा धारा 2क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 384/का० सं० 355/105/76-सी०शु० I]

**G.S.R. 470(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts viscose staple fibre and polynosic staple fibre, when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon, under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1977.

[No. 385/F.No. 355/105/76-Cus. I]

सां० का० नि० 470 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, विस्कोसी स्टेपल फाइबर और पोलिनोसिक स्टेपल फाइबर को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

**G.S.R. 471(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw cotton, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the India Tariff Act, 1934 (32 of 1934).

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1977.

[No. 386/F.No. 355/105/76-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

सां. को. निं. 471 (ख).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जान पर कि चूंकि हित में ऐसा करना आवश्यक है कच्ची कपास को, जब उसका आयात भारत में किया जाए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च 1977 तक, जिसमें यह दिवस भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[नं. 386/को. मं. 355/105/76-सी. शु. I]

एम० जयरामन, अवर सचिव।

